



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन (विस्तार),

लखनऊ - 226001

Website-www.uppst.org

E-mail- cpftrust.2004@gmail.com

पत्र संख्या:-

/47/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/नि०नि०/2020

दिनांक: 27/04/2022

ई०मेल

1. प्रबन्ध निदेशक

कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि०

कानपुर

3. निदेशक (वित्त)

मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल

विद्युत वितरण निगम लि०,

लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

2. निदेशक (वित्त),

उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०

शक्ति भवन, लखनऊ।

**विषय:- अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम/अंतिम भुगतान से सम्बन्धित धन माँगपत्रों के ससमय निस्तारण के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

कृपया अवगत कराना है कि अंशदायी भविष्य निधि योजना से आवरित कार्मिकों के सी०पी०एफ० अग्रिम/अंतिम भुगतान से सम्बन्धित धन माँगपत्र कार्मिकों के आवेदन प्रस्तुत करने के लगभग 2-3 माह पश्चात् ट्रस्ट कार्यालय को भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं, जिसके कारण धन माँगपत्रों का ससमय निस्तारण नहीं हो पा रहा है। कार्मिक द्वारा धनमांग हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् धनराशि अवमुक्त होने में अनावश्यक विलम्ब के कारण कभी-कभी जिस प्रयोजन हेतु अग्रिम की मांग की जाती है उसकी पूर्ति के पश्चात् कार्मिकों को धनराशि प्राप्त होती है, जिसके कारण कार्मिकों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा अनेकों बार कार्मिकों के द्वारा ट्रस्ट कार्यालय में आकर इस सम्बन्ध में पूछताछ भी की जाती है। इस सम्बन्ध में यह भी सूचित करना है कि समस्त कार्मिक ट्रस्टीज द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उच्च प्रबन्धन को भी अवगत कराया जाता है।

अतः समस्त डिस्कॉम/निगम स्तर पर गठित सी०पी०एफ० प्रकोष्ठ/परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (पारिषण) अपने स्तर से यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्तर पर धन माँगपत्र अनावश्यक रूप से विलम्बित तो नहीं किए जा रहे हैं। यदि किसी माँगपत्र में अनावश्यक विलम्ब हुआ है तो संबंधित स्तर से इसका कारण जानते हुए शीघ्रातिशीघ्र अपने स्तर से निस्तारण कराते हुए अध्यक्ष (ट्रस्ट) के कार्यालय ज्ञाप सं०-157/47/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/नि०नि० दिनांक-14.02.2022 में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार माँगपत्र ट्रस्ट कार्यालय को यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें, जिससे कार्मिकों के धनमांग पत्रों के सापेक्ष ससमय धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

**संलग्नक: यथोपरि।**

**भवदीय**


**(एस०के० अवस्थी)  
सचिव (ट्रस्ट)**

पत्र संख्या:- 612 /47/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/नि०नि०/2020/तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

2. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/ वाराणसी/ मेरठ/आगरा।
3. निदेशक (का० प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि०/ उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (का० एवं प्रशा०), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ / वाराणसी/ मेरठ/आगरा।
5. समस्त कार्मिक ट्रस्टीज़, उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)/उपमहाप्रबन्धक (लेखा), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/ वाराणसी/ मेरठ/आगरा।
7. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/ वाराणसी/ मेरठ/आगरा।
8. उपसचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०/ उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/ मध्यांचल/पूर्वांचल/ पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/ केस्को।
10. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), उ०प्र०पा०का०लि०/ उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन (वि०), लखनऊ।
11. लेखाधिकारी परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, पारिषण-मध्य/उत्तर-पूर्व/दक्षिण-पूर्व/पश्चिम /दक्षिण-मध्य/दक्षिण-पश्चिम, लखनऊ/गोरखपुर/प्रयागराज/मेरठ/झांसी/आगरा।
12. लेखाधिकारी (सी०पी०एफ०), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, लखनऊ/ वाराणसी/ मेरठ/आगरा, कानपुर।
13. समस्त लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।

  
 (एस०के० अवस्थी)  
 सचिव (ट्रस्ट)